

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

विविध संख्या – 27/2013/अलवर

मै0 हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एण्ड इण्डो लि0

14 औद्योगिक क्षेत्र नीमराना जिला अलवर जरिए जे.पी. कसेरा

वरिष्ठ अध्यक्ष 2 रेडकास पैलेस कोलकता (पश्चिम बंगाल)

.....प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिए उपपंजीयक नीमराना,
जिला-अलवर

2. आई.एस.सी.आई. लि0

आई.एस.सी.आई. टॉवर 61, नेहरू पैलेस, न्यू दिल्ली।

.....अप्रार्थीगण

खण्डपीठ

श्री बी.के.मीणा, अध्यक्ष

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक

.....प्रार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरना,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अप्रार्थी 1 की ओर से

अनपुस्थित

.....अप्रार्थी 2 की ओर से

निर्णय दिनांक : 21/08/2015

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह रिब्यू पीटीशन राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के द्वारा निगरानी संख्या 2421/2011/अलवर में पारित आदेश दिनांक 10.10.2013 के विरुद्ध पेश की गई है, जिसमें माननीय बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा उक्त निगरानी अधिसूचना दिनांक 26.07.2003 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी को रूग्ण इकाई होने का प्रमाण-पत्र जारी न किया पाये जाने के कारण अस्वीकार की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय में कुछ परिलक्षित भूलें रह गई हैं। अतः इस निर्णय को पुनर्वलोकन किया जाना आवश्यक है। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी कम्पनी की निगरानी यह कहते हुए अस्वीकार कर दी थी कि राजस्थान वित्त निगम एवं रीको द्वारा अधिनियम की धारा 29 के अर्न्तगत अधिकृत औद्योगिक इकाईयों के मुद्रांक शुल्क छूट के संबंध में अधिसूचना क्रमांक एफ.2(5)वित्त/कर/87 - 71 दिनांक 26.07.2003 के अर्न्तगत उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी को रूग्ण इकाई होने का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है जबकि प्रार्थी कम्पनी को आयुक्त, औद्योगिकी जयपुर द्वारा दिनांक 29.01.2008 को व एस.एल.एस.सी. जयपुर द्वारा रूग्ण इकाई का प्रमाण पत्र दिनांक 29.04.2008 को तथा जिला उद्योग केन्द्र, भिवाडी द्वारा भी रूग्ण इकाई होने का प्रमाण पत्र दिनांक 04.12.2012 को जारी कर दिया गया था। अतः माननीय खण्डपीठ का आदेश दिनांक 10.10.2013 विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से रिब्यू योग्य है। अपने इस कथन के साथ विद्वान



31 लगातार.....2

अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत रिब्यू पीटीशन को पुनरावलोकित कर उचित आदेश पारित किये जाने का तथा रिब्यू पिटीशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी विभाग के उपराजकीय अभिभाषक ने माननीय खण्डपीठ के आदेश का समर्थन करते हुए दिनांक 10.10.2013 को पारित आदेश को विधिक बताया तथा उनका यह भी कथन है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार माननीय कर बोर्ड के द्वारा पूर्व में पारित आदेशों को पुनर्वलोकन नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर प्रस्तुत रिब्यू पिटीशन निरस्त किये जाने योग्य है।


उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया।

यह निर्विवाद है कि अधिनियम के प्रावधानों में चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू ऑथोरिटी (सीसीआरए) द्वारा निगरानी में पारित आदेश अन्तर्गत धारा-56 (नये अधिनियम की धारा 65) के सन्दर्भ में नजरसानी/रिब्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। सम्भवतः इसीलिए यह रिब्यू पिटीशन सपटित धारा 151 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

इस सम्बन्ध में यह देखना समीचीन होगा कि अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत निगरानी (Revision) का निस्तारण माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा किस अधिकारिता (Capacity) में किया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध निगरानी सीसीआरए को प्रस्तुत की जाती है। जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा-32(ii) के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2005 तक राज्य सरकार ने माननीय राजस्व मण्डल को सीसीआरए घोषित किया हुआ था तथा इस तिथि के पश्चात सीसीआरए माननीय राजस्थान कर बोर्ड को घोषित किया गया है। स्पष्टतः अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत निगरानियों की सुनवाई सीसीआरए द्वारा की जाती है तथा निगरानियां मुद्रांक अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत प्रस्तुत होती हैं। यदि कोई रिब्यू पिटीशन निगरानी में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना हो तो वह भी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन अधिनियम में रिब्यू प्रस्तुत करने सम्बन्धी कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।

डॉ० (श्रीमती) कमलेश गुप्ता बनाम मैनेजमेन्ट ऑफ हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सीतापुर के प्रकरण (ए.आई.आर. 1987 (एस.सी.) 2186) में निर्णय देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी यही अवधारित किया है। उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय ने निम्न उल्लेख किया गया है :-

"It is now well established that a quasi judicial authority cannot review its own orders unless the power of review is expressly conferred on it by the statute under which it derives its jurisdiction."





— 28 — लगातार.....3

कानूनी रूप से सही स्थिति यही है कि कोई भी रिव्यू अगर प्रस्तुत किया जाता है तो वह सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ही होना चाहिए। चूंकि मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत रिव्यू पिटीशन प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः यही माना जा सकता है कि सपठित धारा 151 द.प्र.सं. के अन्तर्गत निगरानी में पारित आदेश के विरुद्ध रिव्यू चलने योग्य नहीं है। अतः अप्रार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आपत्ति उचित प्रतीत होती है तथा प्रस्तुत रिव्यू पिटीशन खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू पिटीशन खारिज की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया


(मदन लाल)
सदस्य


(बी. के. मीणा)
अध्यक्ष